

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 29 / 2012

बउनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारों (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

- 1- मथुरालाल पुत्र प्रभुलाल जाति नाई निवासी कोटडी तहसील छबडा जिला बारों (मृतक)
- 1/1- केदार पुत्र मथुरालाल जाति नाई निवासी कोटडी तहसील छबडा जिला बारों
- 1/2- श्रीमती रूकमणी बाई पत्नि रामस्वरूप पुत्री मथुरालाल नाई निवासी आटोन तह0 अटरू
- 1/3- श्रीमती गायत्री बाई पत्नि हेमराज पुत्री मथुरालाल नाई निवासी शिवाजी कॉलोनी बारों
- 1/4- श्रीमती सावित्री बाई पत्नि विनोद पुत्री मथुरालाल नाई निवासी पसार मौहल्ला छीपाबडौद
(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2- श्री मदनलाल गालव अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 13.11.2020

राजस्थान सरकार जयें :- प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 280/3 रकबा 0.07 हेक्टर भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012-2031 में खाता सरकार में सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम कोटडी की भूमि खसरा नम्बर 280/3 रकबा 0.07 हेक्टर भूमि दिनांक 18.03.1969 को उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा मथुरालाल पुत्र प्रभुलाल जाति नाई निवासी कोटडी तहसील छबडा के हक में नियमन/आवंटन की गयी है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 मे हैसियत खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत् स्थिति में दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 20.11.2012 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ज्य अभिभाषक उपस्थिति दी गई और जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अप्रार्थी मथुरालाल पुत्र प्रभुलाल जाति नाई निवासी कोटड़ी तहसील छबड़ा को दिनांक 18.03.1969 को उक्त भूमि आवंटन की गई थी। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम माल कोटड़ी तह0 छबड़ा की आराजी खसरा नं0 280/3, रकबा 0.07 हैक्टर गैर मुमकीन नाला होना बताया है तथा सन् 1969 में उपखण्ड अधिकारी छबड़ा द्वारा श्योनारायण पुत्र गोपालनाथ के नाम नियमित आवंटन करना कथन किया है, परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उत्तरदाता को नहीं दिये गये हैं एवं न्यायालय की पत्रावली में भी नहीं है। यदि उत्तरदाता के पूर्वजों के नाम आवंटन किया गया है तो उसे अन्दर मियाद निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिये जो नहीं की गयी।

उत्तरदाता खातेदार काश्तकार है जो उन्हें उत्तराधिकार के क्रम में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी उत्तरदाता के पिता मथुरालाल पुत्र प्रभुलाल नाई के खातेदारी दर्ज थी जो वर्तमान में उत्तरदाताओं के कब्जे एवं खातेदारी में दर्ज है जिससे बेदखल करना विधिविरुद्ध है। उत्तरदाता एवं पूर्वजों द्वारा काफी मेहनत की गई व काफी पैसा खर्च किया गया है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी समतल व काश्त योग्य भूमि है, जिस पर फसल होती है। यह कार्यवाही तथ्यों के विरुद्ध मिथ्या आधारों पर पेश की गयी है। जिस आदेश आवंटन को चैलेंज किया गया है, वह प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जवाब पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि वादी की उक्त कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

मेरे द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम कोटड़ी तहसील छबड़ा जिसके खसरा नम्बर 280/3 रकबा 0.07 हेक्टर है। जो कि सम्वत् 2012 मे भी राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने दिये हैं।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जयें प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम कोटडी तहसील छबडा जिला बारों (राज.) के खसरा नम्बर 280/3 रकबा 0.07 हेक्टर भूमि किस्म गैर-मुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना पत्र मूल बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण में सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर, बारों